संख्या-11 /2020/264 /71-4-2020-137/2018टी0सी0-3

प्रेषक

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 16 मार्च, 2020

विषय:- अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के संचालन हेतु आवश्यक पदों का सृजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- एम0ई0-1/2020/743 दिनांक 27-02-2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ के संचालन हेतु निम्नलिखित 16 पदों को अस्थायी रूप से दिनांक 28-02-2021 तक के लिए बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	प्रस्तावित भर्ती का स्रोत	पदों की संख्या	वेतनमान
1	उप निदेशक (स्थापना)	प्रतिनियुक्ति	01	ग्रेड पे 7600 वेतन बैण्ड 15600-39100
2	प्रोग्रामर	आउट सोर्सिंग	01	सेवा प्रदाता एजेन्सी के अनुबन्ध के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा।
3	कम्प्यूटर आपरेटर		01	
4	आशुलिपिक		02	
5	कनिष्ठ सहायक		02	
6	सहायक अभियंता (सिविल)	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति	01	ग्रेड पे 5400 वेतन बैण्ड 15600-39100
7	वाहन चालक	आउट सोर्सिंग	02	सेवा प्रदाता एजेन्सी के अनुबन्ध के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा।
8	चतुर्थ श्रेणी कर्मी		06	
		कुल	16	

1. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित पद सुसंगत मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप हैं।
2. पदों के वेतनमान और पदनाम राजकीय मेडिकल कालेजों/राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालयों के वेतनमान और पदनाम के समान होंगे।
3. पदों के वेतनमान/पदनाम के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सृजित किये जाने वाले पद सुसंगत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
4. आउटसोर्सिंग हेतु संस्था का चयन पारदर्शी तरीके से किया जायेगा तथा राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित की जाने वाली आउटसोर्सिंग की नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 विश्वविद्यालय की स्थापना-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त् विभाग के अशासकीय संख्या–ई-3/324/दस-2020, दिनांक 13 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:-11 /2020/264 /(1)/71-4-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3-कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।